

(ख) से (घ) उपभोक्ता द्वारा प्रयोग करने के दौरान खराब होने पर मुफ्त में रेगुलेटर बदला जाता है किन्तु उपभोक्ता द्वारा जबरदस्ती घुमाने तोड़ने के कारण रेगुलेटर के लिए 75/- रुपए का टैरिफ शुल्क लिया जाता है। उपभोक्ता द्वारा रेगुलेटरों को सुरक्षित ढंग से चलाने की बढ़ावा देने के लिए ऊंची दर निर्धारित की गई है।

एल पी जी सलाहकार समितियों की स्थापना

548. श्री सुनील कुमार पट्टनायक :
क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम गैस के उपभोक्ताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए सलाहकार समितियाँ गठित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और ऐसी समितियों के कब तक गठित कर दिए जाने की संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म बत्त) : (क) से (ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। तथापि तेल कंपनियों द्वारा स्थापित किये गये शिकायत कक्षों द्वारा एल पी जी प्रयोगकर्ताओं की शिकायतों की जहाँ कहीं आवश्यकता होती है तत्काल जाँच की जाती है और विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाती है।

तत्संस्कृत पेट्रोलियम गैस के कनेक्शनों के लिए प्रतिभूति निक्षेप

549. श्री सुनील कुमार पट्टनायक :
क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कालाबजारी को रोकने के लिए तत्संस्कृत पेट्रोलियम गैस के

नये कनेक्शनों के लिए पंजीकरण कराने के समय प्रतिभूति निक्षेप वसूल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म बत्त) :
(क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पूर्वी दिल्ली गैस के कनेक्शनों का जारी किया जाना

550. श्री सुनील कुमार पट्टनायक :
क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी दिल्ली में इंडियन आयल कारपोरेशन के एलपीजी वितरकों ने उन आवेदकों को, जिन्होंने अपने नाम 1983, 1984, 1985 और 1986 के वर्षों में पंजीकृत कराए थे; गैस के कनेक्शन अभी तक नहीं दिए गए हैं जबकि ऐसे ही पंजीकरण के आधार पर नई दिल्ली के निवासियों को यह सुविधा उपलब्ध करा दी गयी है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे भेदभाव के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर "हाँ" हो, तो क्या सरकार यह सुविधा पूर्वी दिल्ली में भी उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म बत्त) : (क) से (ग) पूर्वी दिल्ली सहित पूरे देश में उन वितरकों के द्वारा जो अधिकतम सीमा से कम पर काम कर रहे हैं,